



महिलाओं एवं लड़कियों की गुमशुदगी की समस्या एक चिन्तनीय विषय: एक अध्ययन

पंकज जैन, विधि विभाग
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Author

पंकज जैन

E-mail : pankaj01051978@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/03/2026
Revised on : 28/05/2026
Accepted on : 06/06/2026
Overall Similarity : 00% on 29/05/2026



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

0%

Overall Similarity

Date: May 29, 2026 (06:53 AM)
Matches: 0 / 2008 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found,
your document looks healthy.

Verify Report:
Scan this QR Code



शोध सार

वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं एवं लड़कियों की गुमशुदगी की घटनाएँ पूरे भारत देश के लिए एक गंभीर समस्या बन गई हैं। छ.ग. में भी उक्त समस्या एक चिन्तनीय विषय बन गई है। उक्त शोध अध्ययन उक्त में शोधार्थी विषय पर किए गए पूर्व के कुछ शोधों का अध्ययन कर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, पारिवारिक कलह, प्रेम प्रसंग, प्रताड़ना, जागरुकता में कमी इत्यादि कारणों से गुमशुदगी की घटनाएँ छत्तीसगढ़ में भी बढ़ती जा रही हैं जिसके नियंत्रण हेतु पुलिस प्रशासन एवं आयोग की भूमिका, तस्करी पर नियंत्रण, हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी, एफ.आई.आर., जागरुकता अभियान, पुर्नवास एवं रोजगार की गारन्टी इत्यादि उपाय महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अतः महिलाओं एवं लड़कियों के गुमशुदगी की समस्या के निदान हेतु पुलिस प्रशासन, आयोग के साथ-साथ प्रत्येक माता-पिता, परिवार, ससुराल सहित आम नागरिकों को भी महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति सवेदनशील होकर पारिवारिक तनाव, घरेलू हिंसा, दहेज की प्रवृत्ति को पूर्णतया त्यागना होगा।

मुख्य शब्द

अपराध, गुमशुदगी, प्रताड़ना, जागरुकता.

प्रस्तावना

वर्तमान परिपेक्ष्य में जैसे-जैसे आपराधिक प्रवृत्तियाँ एवं अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है उसी क्रम में महिलाओं एवं लड़कियों के गुमशुदगी की घटनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी विगत कुछ वर्षों से महिलाओं एवं लड़कियों के गुम होने की घटनाएँ एक चिन्तनीय समस्या बनकर खड़ी हो गई हैं जो कि सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है जिसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, घरेलू हिंसा, साइबर युग, महिलाओं की सुरक्षा स्थिति, लचीली व्यवस्था, पलायन, मानव तस्करी जैसे कई कारण हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इनके गुमशुदगी के कारणों का बारीकी से अध्ययन कर इनकी सुरक्षा के कड़े उपाय किए जायें तभी इस

गंभीर समस्या में कमी लाई जा सकेगी। उक्त कार्य में महिला आयोग, हेल्पलाइन एप एवं पुलिस प्रशासन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

शोध प्रश्न

उक्त विषय पर अध्ययन के पूर्व प्रश्न थे जो कि निम्न हैं:

1. महिलाओं एवं लड़कियों के गुम होने के वास्तविक कारण क्या है?
2. इनके गुमशुदगी की संख्या में कैसे कमी लाई जाए?
3. इस समस्या के निदान में आयोग एवं पुलिस की भूमिका क्या है?
4. हेल्पलाइन नम्बर कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं?

शोध उद्देश्य

उक्त विषय पर अध्ययन करने के उद्देश्य निम्न हैं:

1. महिलाओं एवं लड़कियों के गुमशुदगी के कारणों पर अध्ययन।
2. इनकी सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर अध्ययन।
3. इनके गुमशुदगी के पीछे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण।
4. कानूनी प्रावधानों पर फोकस।
5. पुलिस प्रशासन एवं आयोग की कार्यप्रणाली।
6. मीडिया की भूमिका।

शोध का सिंहावलोकन

उक्त विषय पर अध्ययन के पूर्व उक्त विषय पर किये गये पूर्व के कुछ शोधों का अध्ययन करने के पश्चात् कुछ नये बिन्दुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है:

शोध प्रविधि: उक्त अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया है। द्वितीयक आंकड़ों में समाचार पत्र, जर्नल्स, इन्टरनेट सामाग्री, पुस्तक, विधि पत्रिका इत्यादि का प्रयोग किया है।

अपराध का अर्थ: सामान्यतया अपराध उन गैरवैधानिक कार्य को कहते हैं जिनसे पुरे समाज को हानि होती है एवं वह कार्य देश के कानून में दंडनीय होता है।

गुमशुदगी का आशय: गुमशुदगी का सामान्यतः आशय किसी भी महिला अथवा लड़की का बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक अपने घर, परिवार या कार्यस्थल से गायब हो जाना। इस प्रकार ऐसी स्थिति आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देती है क्योंकि इससे अपहरण, तस्करी या किसी आपराधिक प्रवृत्ति की आशंका उत्पन्न हो जाती है।

यदि हम छत्तीसगढ़ की स्थिति का अवलोकन करें तो पता लगता है कि छ.ग. में भी महिलाओं एवं लड़कियों के गुमशुदगी की घटना एक चिन्तनीय समस्या बनकर सरकार के समक्ष उत्पन्न हो गई है जिसे हम आंकड़ों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे।

महिलाओं की गुमशुदगी में छ.ग. के टॉप 5 जिले (2023 से 31 जनवरी 2026 तक)

जिले का नाम	महिलाएं
रायपुर	5481
बिलासपुर	3208
दुर्ग	2565
बलौदाबाजार	1922
कोरबा	1759

(स्रोत: नवभारत, रायपुर 21 मार्च 2026, पेज नंबर 06)

छ.ग. मे लड़कियों के गुमशुदगी मे टॉप 5 जिले (2023 से 31 जनवरी 2026 तक)

जिले का नाम	लड़कियां
रायपुर	1243
बिलासपुर	1086
दुर्ग	0752
बलौदाबाजार	0699
जांजगीर	0644

(*स्रोत: नवभारत, रायपुर 21 मार्च 2026, पेज नंबर 06*)

छ.ग. में सबसे कम महिला गुमशुदगी वाले 5 जिला (2023 से 31 जनवरी 2026 तक)

जिले का नाम	महिलाएं
बीजापुर	085
नारायणपुर	105
सुकमा	113
दंतेवाड़ा	157
कोरिया	367

(*स्रोत: नवभारत, रायपुर 21 मार्च 2026, पेज नंबर 06*)

छ.ग. में सबसे कम लड़की गुमशुदगी वाले 5 जिले (2023 से 31 जनवरी 2026 तक)

जिले का नाम	महिलाएं
बीजापुर	35
नारायणपुर	39
दंतेवाड़ा	44
सुकमा	45
मोहला-मानपुर-अंबागढ़	84

(*स्रोत: नवभारत, रायपुर 21 मार्च 2026, पेज नंबर 06*)

2023 से 31 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ में तीन वर्षों में ही 47419 महिलाएं एवं लड़कियां लापता हुईं जिनमें से 40231 को ही पुलिस खोज पाई जबकि 7188 का पता 21 मार्च 2026 तक नहीं लग पाया। प्रदेश की राजधानी रायपुर इस मामले में प्रथम स्थान एवं बिलासपुर जिला दूसरे स्थान पर है। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों में गुमशुदगी के मामले तेजी से बढ़े हैं जो कि गंभीर चिंता का प्रश्न है। (*स्रोत: नवभारत, रायपुर 21 मार्च 2026, पेज नंबर 06*)

अल्लू बनाम एम्परर 01— धारा 362 भा.द.सं. (अब धारा 138 भारतीय न्याय संहिता) में वर्णित परिभाषा के दृष्टिकोण में उसमें प्रयुक्त बल का अर्थ वास्तविक बल है न कि बल का प्रदर्शन या भय। उक्त मामले में न्यायालय ने कहा कि बड़ी आयु की स्त्री को बल द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध चाहे उसके पति को सुपुर्द करने के उद्देश्य से भी, ले जाना अपराध होगा। (*स्रोत: भारतीय न्याय संहिता 2023 लेखक के डी.गौड़*)

लालता प्रसाद बनाम म.प्र.राज्य 02— उक्त मामले में कहा गया कि यदि कोई लड़की अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की है तो उसे अपहरण किया जा सकेगा किंतु यदि वह अठारह वर्ष से कम आयु की है तो उसे व्यपहत करने के साथ-साथ अपहृत भी किया जा सकता है। यदि उसे बलपूर्वक ले जाया जाता है या ले जाया जाना या बहका ले जाना प्रवंचनापूर्ण तरीके द्वारा हो। इसका दंड दस वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना है। (*स्रोत: भारतीय न्याय संहिता 2023 लेखक के डी.गौड़*)

महिलाओं एवं लड़कियों के गुमशुदगी (लापता होने) के प्रमुख कारण

वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं एवं लड़कियों के गुमशुदगी के पीछे निम्नलिखित कारण बताये जा सकते हैं:

1. **पारिवारिक कलह:** गुमशुदगी के प्रमुख कारणों में से एक मुख्य कारण परिवार का माहौल, पारिवारिक कलह एवं विवाद, प्रताड़ना इत्यादि के कारण परेशान होकर घर छोड़ देना है।
2. **देह व्यापार:** महिलाओं एवं लड़कियों को तरह-तरह के प्रलोभन देकर उनसे देह व्यापार लेने की प्रवृत्ति भी गुमशुदगी

का प्रमुख कारण है।

3. **घरेलु हिंसा की प्रवृत्ति:** वर्तमान परिपेक्ष्य में बढ़ती हुई घरेलु हिंसा की प्रवृत्ति भी गुमशुदगी का कारण है।
4. **प्रेम प्रसंग:** वर्तमान परिपेक्ष्य में कम उम्र लड़कियाँ प्रेम प्रसंग में लिप्त होकर घर से भागने की कोशिश करती हैं। यह भी गुमशुदगी का मुख्य कारण है।
5. **प्रताड़ना:** वर्तमान परिपेक्ष्य में बढ़ती हुई दहेज प्रताड़ना, पति एवं ससुराल पक्ष के द्वारा दुर्व्यवहार इत्यादि भी गुमशुदगी के मुख्य कारण हैं।
6. **मानसिक विकृतियाँ:** कुछ महिला एवं लड़कियाँ मानसिक विकृति से ग्रसित होकर भी अपने परिवार से बिछड़ जाती हैं।
7. **अपहरण की बढ़ती घटनाएँ:** वर्तमान परिपेक्ष्य पुरानी दुश्मनी अथवा अन्य प्रकार से आपराधिक कारणों से अपहरण की बढ़ती हुई घटनाएँ भी इसका प्रमुख कारण हैं।
8. **कार्यस्थल पर शोषण की प्रवृत्ति:** प्रायः ग्रामीण या छोटे शहरों की महिलाएँ रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में जाती हैं एवं वहाँ गलत लोगों के चक्कर में लापता हो जाती हैं।
9. **ऑनलाईन धोखाधड़ी:** डिजिटल युग में सोशल मीडिया, इंटरनेट, ए.आई. तकनीक के अत्यधिक उपयोग का शिकार होना भी गुमशुदगी का प्रमुख कारण है।

गुमशुदगी के निदान हेतु प्रमुख प्रयास/सुझाव

महिलाओं एवं लड़कियों को बढ़ती हुई गुमशुदगी की समस्या को हल करने हेतु कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हो सकते हैं:

1. **सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक कारणों का निदान:** सर्वप्रथम महिलाओं एवं लड़कियों के गुमशुदगी हेतु सांस्कृतिक सामाजिक एवं आर्थिक कारण जो जिम्मेदार रहे हैं इन कारणों का त्वरित निदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
2. **पुनर्वास की व्यवस्था:** गुमशुदगी के कारणों का निदान कर महिलाओं एवं लड़कियों के सुरक्षित पुनर्वास की समुचित व्यवस्था एवं इन्हे रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करना जरूरी है।
3. **सामाजिक विश्लेषण:** इनके घरेलु हिंसा, प्रताड़ना एवं गुमशुदगी के बीच के अंतःसंबंधों का सामाजिक विश्लेषण कर इस समस्या का निदान किया जा सकता है।
4. **साइबर अपराधों से रक्षा:** वर्तमान परिपेक्ष्य में बढ़ते साइबर अपराधों से इनको पूर्णतया सुरक्षा से ही गुमशुदगी की समस्या में कमी पाई जा सकती है।
5. **पुलिस प्रशासन एवं आयोग की भूमिका:** पुलिस प्रशासन, मानवधिकार आयोग, महिला आयोग की सक्रियता एवं उपयोगी कार्यप्रणाली, दंड भी इस समस्या में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। गुमशुदगी होने पर तत्काल थाने में एफ.आई.आर. किया जाए।
6. **मानव तस्करी पर कड़ा नियंत्रण:** मानव तस्करी के बढ़ते हुए जाल पर कठोर नियंत्रण एवं गंभीर दंड देकर भी इस समस्या में कमी लाई जा सकती है। तस्करी की आशंका होने पर तत्काल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से संपर्क करें।
7. **मीडिया की भूमिका:** गुमशुदगी की समस्या के निदान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।
8. **त्वरित सहायता एवं ऐप का उपयोग:** महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा हेतु बनाए गए मोबाईल ऐप जैसे पुलिस का अभिव्यक्ति ऐप, तत्काल पुलिस सहायता हेतु 112 इत्यादि ऐप का तत्काल प्रयोग किया जाए।
9. **निगरानी व्यवस्था:** प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों, मंदिरों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे एवं निगरानी कर उक्त समस्या को रोका जा सकता है।
10. **हेल्पलाइन नंबर:** राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन नंबरों एवं केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबरों को प्रयोग करें।
11. **व्यापक पैमाने पर अवेयरनेस कार्यक्रम:** गुमशुदगी की समस्या को हल करने हेतु प्रत्येक जिले, गांव, कस्बों, मुहल्लों

में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर इन्हे डिजिटल साक्षरता,साइबर क्राइम,सुरक्षित यात्रा,हेल्पलाइन नंबरो ,पुलिस सहायता,आयोग की कार्यप्रणाली इत्यादि की जानकारी समय-समय पर प्रदान की जाए।

12. **समाजसेवी संस्थाओं की मदद:** महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा हेतु कार्य कर रही एनजीओ या स्थानीय महिला संगठनों से संपर्क कर भी महिलाओं एवं लड़कियों को जागरूक कर गुमशुदगी की समस्या को हल किया जा सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में पूरे देश में महिलाओं की गुमशुदगी की घटनाएं एक गंभीर समस्या बन चुकी है जिससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी गुमशुदगी की घटनाएं एक चिन्तनीय समस्या बनकर सरकार के समक्ष विद्यमान है। इस समस्या में कमी लाने हेतु महिलाओं एवं लड़कियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं को दूर करने, घरेलु हिंसा, पारिवारिक प्रताड़नाओं से सुरक्षा, सुरक्षित प्रवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था, पुलिस थाने में एफआईआर पश्चात् तत्काल एक्शन,आयोग की त्वरित कार्यप्रणाली, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरो का प्रचार प्रसार किया जाना जरूरी है। गुमशुदगी होने पर सरकार द्वारा तुरंत सहायता प्रदान की जाए। मानव तस्करी पर नियंत्रण होना चाहिए। इनकी सुरक्षा हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों को ठोस पहल करना जरूरी है। लापता होने पर तत्काल एफआईआर होना एवं एफआईआर के बाद त्वरित कार्यवाही होना सुनिश्चित किया जाए। पुलिस द्वारा इनकी सुरक्षा हेतु जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस एवं सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर विशेष जांच अभियान चलाया जाए। लापता होने की शिकायत मिलते ही मीडिया में व्यापक कवरेज किया जाए।

स्पष्ट है कि महिलाओं एवं लड़कियों की गुमशुदगी की घटनाओं को दूर करने में पुलिस, आयोग, सरकार मीडिया सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है साथ ही साथ प्रत्येक माता-पिता, परिवार, ससुराल पक्ष सभी को जागरूक किया जाए कि आपसी संवाद बढ़ाया जाए, घरेलु हिंसा पर पूर्णतया रोक लगाई जाए, दहेज पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित हो,पारिवारिक कलह पर नियंत्रण हो तभी गुमशुदगी की घटनाएं रोकी जा सकेगी। प्रत्येक परिवार को अपने घर की लड़कियाँ, बहुओं, बेटियों के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है तभी महिलाएं एवं लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी एवं इनके गुमशुदगी की घटनाओं को रोक पाना संभव हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. ए.आई आर. 1925 ला. 512
2. (1979) क्रि.ला.ज. 867 (868)
3. गौड, के. डी. (2023) *भारतीय न्याय संहिता 2023 अधिनियम संख्यांक 45*. सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, प्रयागराज, आईएसबीएन 978-81-19415-69-4
4. परांजपे, ना.वि. (2017) *अपराध शास्त्र, दंड प्रशासन एवं प्रपीडन शास्त्र*. सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, प्रयागराज, अष्टम संस्करण पुनः मुद्रित 2017. आईएसबीएन 978-93-84961-08-4
5. डॉ. संजीव महाजन (2017) *अपराध शास्त्र एवं दंडशास्त्र*. अर्जुन पब्लिशिंग, नई दिल्ली, आईएसबीएन 81-88775-85-1।
6. नवभारत (2026, मार्च 21) रायपुर पृ. 06।
